राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
209 / 2007 / वाद पत्र	15.09.2007	22.05.2017

उनवान

1–2 खाना, रोडू पिता रामनाथ कुमावत नि0 सुरजपरा तह0 शाहपुरा
3–8 भेरू,मोहन,छोटू,सत्यनारायण,हीरी,लाड पिता माधु कुमावत नि0 सुरजपुरा
9– मगदू पत्नि माधु कुमावत नि0 सुरजपुरा तह0 शाहपुरा – वादीगण

बनाम

1–2 लादु,सुवा पिता सुरजमल कुमावत निवासी सुरजपुरा तह0 शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा. : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 रा0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 रूपपुरा तहसील शाहपुरा मे प्रतिवादीगणों के अग्रज सुरजमल एवं रामनाथ को ठिकाना तहनाल से 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि का पट्टा दिया गया। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड मे भी अंकन हो गया। तथा आ0न0 453 रकबा 14 बीघा भूमि संवत 2009 मे सुरजमल वल्द गोपाल व रामनाथ वल्द गोपाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई। सुरजमल एवं रामनाथ ने अपने जीते जी आधा–आधा बंटवाड़ा कर लिया तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ मुखातिब होते हुए डोल दोनो की जगह पर डला दिया। पूर्व दिशा की आधी भूमि रामनाथ के रही तथा पश्चिम दिशा की भूमि सुरजमल के रही। इस प्रकार 50 से भी अधिक वर्षो से बंटवाड़ा होकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। संवत 2010 मे पेमाईस वालो की गलती से उक्त कृषि भूमि मे से 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि सुरजमल व रामनाथ यानी की वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से संयुक्त खाते मे दर्ज हो गई। जिनके आराजी नम्बर 59/1, 61, 62 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 6 बीघा 03 बिस्वा, 05 बिस्वा एवं 09 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा रहा। इसके अलावा प्रतिवादी 1 व 2 के पिता सुरजमल पिता गोपाल के अकेले के अलग अलग खाता दर्ज करके अब 14 बीघा भूमि से 5 बीघा 02 बिस्वा भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज कर दी गई। जिनके आ0न0 क्रमशः 60, 64/1, 64/2, 65, 66, 67 कुल किता 6 रकबा क्रमशः 13 बिस्वा, 08 बिस्वा, 09 बिस्वा, 14 बिस्वा, 02 बिस्वा एवं 2 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा रहा है। पेमाईश पूर्व की कुल 14 बीघा भूमि मे से संवत 2010 मे पेमाईश के पश्चात् रकबा कम करके 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही पक्षकारान के रेकार्ड मे दर्ज की गई। जिसमे से 5 बीघा 02 बिस्वा भूमि अकेले सुरजमल वल्द गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

थे। जबकि वर्तमान मे भी विवादित जमीनों पर आधी आधी वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज है। और कब्जे के आधार पर उद्घोषणा कराने व बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगणों के हको, अधिकारों को समाप्त करने की दुर्भावना से विवादित कृषि भूमि पर ऋण लेने पर आमादा है जिन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः हाल राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते मे दर्ज ग्राम शम्भुपुरा की कृषि आराजी नम्बर 452 रकबा 0.21 है0, 454 रकबा 0.32 है0, 455 रकबा 0.08 है0, 456 रकबा 0.54 है0, 458 रकबा 0.05 है0, 459 रकबा 0.06 है0 एवं 464 रकबा 0.03 है0 कुल किता 07 रकबा 1.29 है0 मे दर्ज लादु, सुवा पिता सुरजमल कुमावत सा0 सुरजपुरा मे से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप बंटवाड़ा किया जावे। वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि विवादित कृषि भूमि पर किसी भी संस्थान से ऋण प्राप्त नही करे और विवादित जमीनों को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित या रहन नही रखे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.10.2007 को वादीगण की ओर से श्री अनिल शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का सम्मन अखबार मे साया करा प्रति पेश करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 25.10.20007 को राजस्थान पत्रिका दिनांक 19.10.2007 मे प्रतिवादीगण का सम्मन साया करा प्रति पेश की गई किन्तु उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाबदावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 28.02.2013 को वादी रोडू का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2015 को जवाब पेश किया गया जिसमे बताया कि प्रकरण मे सरकार औपचारिक पक्षकार होने व राज्य हित निहित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र तहनाल पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 22.05.2017 को केम्प तहनाल मे वादीगण रोडू, मगदू, खाना मय अभिभाषक उपस्थित हुए। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस समायत की गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। मैनें बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों का भंली भांति अवलोकन किया। साबिक/हाल रेकार्ड की मिलान क्षैत्रफल से पुष्टि होती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 रूपपुरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 452 रकबा 0.21 है0, 454 रकबा 0.32 है0, 455 रकबा 0.08 है0, 456 रकबा 0.54 है0, 458 रकबा 0.05 है0, 459 रकबा 0.06 है0 एवं 464 रकबा 0.03 है0 कुल किता 07 रकबा 1.29 है0 मे दर्ज

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिवादीगण लादु, सुवा पिता सुरजमल कुमावत सा0 सुरजपुरा मे से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा किया जाकर रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शें मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी संस्थान से ऋण प्राप्त नही करे और विवादित जमीन को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित या रहन नही रखे। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र तहनाल मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

इजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

1–2 खाना, रोडू पिता रामनाथ कुमावत नि0 सुरजपरा तह0 शाहपुरा
3–8 भेरू,मोहन,छोटू,सत्यनारायण,हीरी,लाड पिता माधु कुमावत नि0 सुरजपुरा
9– मगदू पत्नि माधु कुमावत नि0 सुरजपुरा तह0 शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1–2 लादु,सुवा पिता सुरजमल कुमावत निवासी सुरजपुरा तह0 शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 209/2007 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 रूपपुरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 452 रकबा 0.21 है0, 454 रकबा 0.32 है0, 455 रकबा 0.08 है0, 456 रकबा 0.54 है0, 458 रकबा 0.05 है0, 459 रकबा 0.06 है0 एवं 464 रकबा 0.03 है0 कुल किता 07 रकबा 1.29 है0 मे दर्ज प्रतिवादीगण लादु, सुवा पिता सुरजमल कुमावत सा0 सुरजपुरा मे से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा किया जाकर रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी संस्थान से ऋण प्राप्त नही करे और विवादित जमीन को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित या रहन नही रखे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)